



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-21082024-256530
CG-MH-E-21082024-256530

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 639]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 21, 2024/श्रावण 30, 1946

No. 639]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 21, 2024/SHRAVANA 30, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 19 अगस्त, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/199.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, विनियम 15 के बाद, निम्नलिखित नया विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“फीस

15क. अनुसंधान विश्लेषक (रिसर्च एनालिस्ट) अनुसंधान (रिसर्च) संबंधी सेवाएँ प्रदान करने के संबंध में किसी ग्राहक (जिसमें अक्रेडिटिड निवेशक भी शामिल है) से फीस उसी तरह से ले सकेगा, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./408/2024-25]

पाद टिप्पणः

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/07/1414 द्वारा, 1 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 तत्पश्चात्,-
 - क. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा
 - ख. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/10, द्वारा
 - ग. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/09, द्वारा
 - घ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (रेग्युलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/30, द्वारा
 - ङ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/115, द्वारा
 - च. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा
 - छ. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/137, द्वारा
 - ज. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/146, द्वारा
 - झ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) (संशोधन) विनियम 2024, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2024/170, द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 19th August, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**(RESEARCH ANALYSTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/199.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of

1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, namely, –

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Second Amendment) Regulations, 2024.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, after regulation 15, the following new regulation shall be inserted, namely,–

“Fees.

15A. Research Analyst shall be entitled to charge fees for providing research services from a client including an accredited investor in the manner as specified by the Board.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./408/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, were published in the Gazette of India on September 01, 2014 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2014-15/07/1414.
2. The Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014 were subsequently amended on, –
 - a. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023.
 - b. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
 - c. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/09.
 - d. August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
 - e. 17th January 2023, by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115.
 - f. February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.
 - g. 3rd July 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/137.
 - h. 17th August 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146.
 - i. 26th April 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) (Amendment) Regulations, 2024 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/170.